राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2098 / 2007 / उदयपुर

मै0 नन्दीश कन्सट्रक्शन कम्पनी,
उदयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स,
उदयपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बाकोडिया
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.खदाव
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.10.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 225 / आरएसटी / ईटी / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2002–03 हेतु पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 अन्तर्गत राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री आफ गुड्स इन टू लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम 1999"** कहा जायेगा) की धारा धारा 13(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति व ब्याज को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने ETLA-1 & 5 की अप्रस्तुती के आधार पर धारा 35 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रू 21,000 / -- को अपास्त करते हुए प्रवेश कर देरी से जमा होने के आधार पर आरोपित शास्ति राशि रू 49,076 / – के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी का आलोच्य अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.12.2003 का पारित किया गया था, जिसमें बिक्री प्रपत्रों की प्रस्तुती के संदर्भ में यह अंकित किया गया है कि कर निर्धारण से पूर्व व्यवसायी ने राज्य के बाहर से आयात किये गये माल का विवरण प्रस्तुत कर दिया है।" इस आधार पर शास्ति की गणना शून्य रखी गयी है। इस कर निर्धारण आदेश में आरोपित किये गये कर आदि को बिन्दुओं को चुनौती देने के लिये अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 19.10.2004 को किया गया एवं प्रकरण को आयात किये गये बीटुमीन, बीटुमीन एमलसन तथा एल.डी.ओ. पर विज्ञप्ति दिनांक 22.03.2002 के संदर्भ में माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा धारा 40 में दिये गये निर्णय दिनांक 23.02.2004, 29.04.2004 एवं 28.05.2003 के निर्णयानुसार इस बिन्दु पर

लगातार.....2

पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया था जिसकी पालना में दिनांक 19.12.2005 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। इस कर निर्धारण आदेश में ETLA-1 & 5 की अप्रस्तुती मानकर धारा 35 में रू 21,000/– की शास्ति एवं प्रवेश कर देरी से जमा होने के आधार पर रू 49,076/– की शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने बिटुमन व बिटुमन इमलसन पर प्रवेश कर के दायित्व से अतिरिक्त आयुक्त के निर्णय अन्तर्गत धारा 40 दिनांक 23.02.2004, 29.04.2004, 28.05.2003 एवं अधिसूचना सं 190 दिनांक 22.03.2002 के प्रकाश में मुक्त रखा तथा एलडीओ पर प्रवेश कर आरोपित किया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलीय अधिकारी ने ETLA-1 & 5 की अप्रस्तुती के आधार पर धारा 35 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रू 21,000/– को अपास्त करते हुए प्रवेश कर देरी से जमा होने के आधार पर आरोपित शास्ति राशि रू 49,076/– के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील में कर राशि रू. 1,44,667/– को भी विवादित किया है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलकर्ता फर्म ठेके कार्य करती है तथा उसके द्वारा वर्ष 2002–03 में सभी कार्य ई.सी. कर मुक्ति फीस जमा कराकर किये गये है। राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 190 दिनांक 22.03.2002 द्वारा कर मुक्ति प्रदान की गई है जिसमे शर्त है कि राज्य में देय बिक्री कर जमा करा दिया हो। व्यवसायी द्वारा राज्य में देय कर मुक्ति शुल्क जमा करा दिया जिसे माननीय आयुक्त महोदय द्वारा धारा 40 में आदेश दिनांक 28.05.2003 से ई.सी. फीस का राज्य कर मानते हुए प्रवेश कर से मुक्ति दी गई है। इन्होंने आरोपित प्रवेश कर को अपास्त करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष एलडीओ पर आरोपित प्रवेश कर के संबंध में लिखित कथन प्रस्तुत किये थे परन्तु अपीलीय अधिकारी ने इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। इन्होंने अपने समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील सं. 36/2008 मै. नवनीत इंजिनियर्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 18.11.2011 एवं अतिरिक्त आयुक्त, (वेट एण्ड आईटी) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्णय दिनांक 28.05.2003 मै. भवन पथ निर्माण (बोहरा) एण्ड कम्पनी, बाडमेर के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी व्यवसायी का आलोच्य अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.12.2003 का पारित किया गया था, जिसमें बिक्री प्रपत्रों की

लगातार.....3

प्रस्तुती के संदर्भ में यह अंकित किया गया है कि कर निर्धारण से पूर्व व्यवसायी ने राज्य के बाहर से आयात किये गये माल का विवरण प्रस्तुत कर दिया है।" इस आधार पर शास्ति की गणना शून्य रखी गयी है। इस कर निर्धारण आदेश में आरोपित किये गये कर आदि के बिन्दुओं को चुनौती देने के लिये अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 19.10.2004 को किया गया। निर्णय में कथन किया गया कि माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय का निर्णय धारा 40 दिनांक 23.02.2004, 29.04.2004, 28.05.2003 की अनुपालना में बीटुमन तथा बीटुमन एमल्सन पर आरोपित प्रवेश कर अपास्त किया जाता है। एलडीओ पर प्रवेश कर नियमानुसार आरोपित रहेगा तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि बीटुमन, बीटुमन एमल्सन तथा एल.डी.ओ. की खरीद राशियों की पूर्ण जांच कर माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा धारा 40 की पालना करते हुए पुनः आदेश पारित करें जिसकी पालना में दिनांक 19.12.2005 को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। इस कर निर्धारण आदेश में ETLA-1 & 5 की अप्रस्तुती मानकर धारा 35 में रू 21,000/– की शास्ति एवं प्रवेश कर देरी से जमा होने के आधार पर रू 49,076/– की शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने बिटुमन व बिटुमन एमल्सन पर प्रवेश कर के दायित्व से अतिरिक्त आयुक्त के निर्णय अन्तर्गत धारा 40 दिनांक 23.02.2004, 29.04.2004, 28.05.2003 एवं अधिसूचना सं 190 दिनांक 22.03.2002 के प्रकाश में मुक्त रखा तथा एलडीओ पर प्रवेश कर आरोपित किया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलीय अधिकारी ने ETLA-1 & 5 की अप्रस्तुती के आधार पर धारा 35 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रू 21,000/– को अपास्त करते हुए प्रवेश कर देरी से जमा होने के आधार पर आरोपित शास्ति राशि रू 49076/– के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसमें एलडीओ की बाहर से खरीद राशि रू 36,16,679/– पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित प्रवेश कर राशि रू. 1,44,667/– को भी विवादित किया है।

8. विचाराधीन प्रकरण में प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 19.10.2004 में एक तरफ जहां यह अवधारित किया है कि एलडीओ पर प्रवेश कर नियमानुसार आरोपित रहेगा, वहीं दूसरी और यह भी कथन किया है कि प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि बीटुमन, बीटुमन एमल्सन तथा एल.डी.ओ. की खरीद राशियों की पूर्ण जांच कर माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा धारा 40 की पालना करते हुए पुनः आदेश पारित करें। इस प्रकार अपीलीय आदेश में एलडीओ पर आरोपित कर के संबंध में स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण इसे अंतिम नहीं माना जाकर विवादित बिन्दु मानकर प्रकरण में विचार किया जा रहा है। इस प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 19.10.2004 की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 में एलडीओ पर प्रवेश कर आरोपित किया गया है व प्रवेश कर देरी से जमा

लगातार.....4

कराये जाने के कारण शास्ति राशि रू. 49,076/– आरोपित की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2007 में एलडीओ पर आरोपित प्रवेश कर के बिन्दु पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।

9. प्रकरण में जहां जक प्रवेश कर आरोपण का संबंध है, प्रवेश कर आरोपण विधिसम्मत है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन्दल स्टेनलैस स्टील लि0 एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य AIR 2016 SC 5617:(2017)12 SCC 1 के प्रकरण में दिये गये निर्णय में उक्त अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि कर दी गई है।

10. प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि व्यवहारी जो कि वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर है, द्वारा ई.सी. फीस जमा करा दिये जाने के कारण एलडीओ पर प्रवेश कर का दायित्व है या नहीं। प्रकरण में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 190 दिनांक 22.03.2002 का अवलोकन करना समीचीन है जो निम्न प्रकार है :–

S.No. 1578 : F.4(30)FD/Tax Div/2002-190 dated 22.03.2002, as corrected by corrigendum effective from 22.03.2002

S.O.437 - In exercise of the powers conferred by S.9, Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the State Govt. [.1.], hereby exempts from tax payable under the Act in respect of the goods mentioned in the List appended hereunder, on the condition that tax leviable under the RST Act, 1994, in respect of these goods has been paid in the State.

LIST

1. Furnace oil
2. Oilseed and edible oil for manufacturing or refining
3. Bitumen
4. Air Conditioner
5. Photocopiers
6. Dyes and dye stuffs [textile auxiliaries [including] chemicals used in textile processing and starch]
7. Computers [and their accessories]
8. Cement
9. Gwar [Whether whole or splitted inlcuding dal whether refined or not and gwar grum]
10. Hydraulic Excvators (earth moving and mining machinery), mobile cranes and hydraulic dumpers
11. [Timber]
12. [All kinds of paper and paper products including exercise books.]
13. Weight-bridges
14. Lifts and Elecvators
15. Generatign sets
16. Tin plate]

इस अधिसूचना के द्वारा अधिसूचना में वर्णित वस्तुओं पर प्रवेश कर से मुक्ति प्रदान की गई है जिसमें शर्त यह है कि उस वस्तु पर राज्य में देय बिक्री कर जमा करा दिया हो। उपरोक्त अधिसूचना में विवादित बिन्दु के संबंध मे विचारित वस्तु Light Diesel Oil (L.D.O.) वर्णित नहीं है। इस प्रकार एलडीओ पर प्रवेश कर में इस अधिसूचना द्वारा कोई मुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

11. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चूंकि ई.सी. फीस जमा करवाकर कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है जिससे उस पर प्रवेश कर का

2m/

लगातार.....5

कोई दायित्व नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अतिरिक्त आयुक्त द्वारा मै0 भवन पथ निर्माण एण्ड कम्पनी में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2003 में बिटुमन के संबंध में प्रवेश कर आरोपित होने का विवाद था जिसमें वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर ने कार्य संविदा में बिटुमन का प्रयोग किया था व ई.सी. फीस जमा थी। अतिरिक्त आयुक्त ने अधिसूचना संख्या 190 दिनांक 22.03.2002 के परिप्रेक्ष्य में यह माना है कि चूंकि बिटुमन का उपयोग कार्यसंविदा में होने के कारण इस पर आरोपित कर ई.सी फीस के रूप में प्राप्त हो गया है। अतः इस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सकता। इस न्यायिक दृष्टांत के अनुसार प्रथम तो बिटुमन इस अधिसूचना में क्रम सं 03 पर वर्णित है व द्वितीय बिटुमन का प्रयोग संविदा कार्य में होने से वह Deemed Sale की परिभाषा में आने के कारण उस पर आरोपित कर ई.सी. फीस के रूप में प्राप्त होने के कारण प्रवेश कर आरोपणीय नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में एलडीओ प्रथम तो इस अधिसूचना में अंकित नहीं है दूसरा एलडीओ का उपयोग कार्य संविदा के निष्पादन में Deemed Sale के रूप में नहीं होता बल्कि Consumption के रूप में होता है जिस पर बिक्री कर/परिवर्द्धित कर आरोपणीय ही नहीं है तथा इस पर ई.सी फीस के रूप में जमा कराई गई राशि बिक्री कर के रूप में प्राप्त राशि नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत नवनीत इंजिनियर्स के प्रकरण में भी माननीय एकलपीठ के संविदा कार्यो के निष्पादन हेतु Air Conditioner, प्रतिष्ठान सामग्री (Installation Material), फिल्टर, लेमिनर को प्रवेश कर से मुक्त माना है क्योंकि ये सभी वस्तुएँ संविदा कार्य के निष्पादन के रूप में प्रयोग हुई है तथा यह सिद्धान्त विचाराधीन प्रकरण मे लागू नहीं होता है क्योंकि विवादित वस्तु एलडीओ का उपयोग Consumption के रूप में होता है।

12. विवादित बिन्दु के संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा अपील सं 327/2004 मै0 सद्भाव इंजिनियरिंग लि. उदयपुर बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर व अन्य समान प्रकरण में निर्णय दिनांक 22.06.2005 में निम्न प्रकार से अवधारित किया गया है :–

" प्रकरण में विवादित यही है कि क्या फर्नेस ऑयल, हाईड्रॉलिक एक्सकेवेटर एवं डीजी सेट कार्यादेश की पूर्ति हेतु आयात किये जाने पर कर मुक्ति शुल्क देने के बाद प्रवेश कर से मुक्त रहेंगे। इस सम्बन्ध में अधिसूचना क्रमांक : F.-4(12)FD/Tax Div./2001-25 Dated 29-03-2001 का अवलोकन किया जाना उचित होगा। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने केवल कार्यादेश की पूर्ति हेतु काम में ली गई उन्हीं वस्तुओं को कर मुक्त घोषित किया है, जिनका स्थानान्तरण वस्तुओं के रूप में (वस्तु या किसी अन्य रूप में) हो जाता है तथा इसके लिये कर मुक्ति शुल्क निर्धारित किया हुआ है। जहां तक बिटुमन और सीमेन्ट का प्रश्न है, निश्चित रूप से सड़क निर्माण के कार्यादेश की पूर्ति हेतु जो बिटुमन और सीमेन्ट काम में लिया जाता है, उसका स्थानान्तरण सड़क के एक भाग के रूप में हो जाता है, परन्तु डी जी सेट, डम्पर्स, फर्नेस ऑयल व हाईड्रॉलिक एक्सकेवेटर का स्थानान्तरण वस्तुओं के रूप में नहीं होता। अतिरिक्त आयुक्त ने इसी

लगातार.....6

आधार पर इन वस्तुओं की खरीद को कर मुक्ति शुल्क देने के बाद प्रवेश कर से मुक्त नहीं माना। यह अवश्य है कि इन विवादित वस्तुओं का उपयोग भी सड़क निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, परन्तु अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण कार्यादेश की पूर्ति में वस्तुओं के रूप में नहीं होने के कारण इन्हें प्रवेश कर से मुक्त नहीं माना जा सकता। यदि व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क मान लिया जाये कि इन वस्तुओं का उपयोग, क्योंकि कार्यादेश की पूर्ति के सम्बन्ध में ही किया गया है तो उन वाहनों को भी कर मुक्ति शुल्क देने के बाद प्रवेश कर से मुक्त करना होगा, जो सड़क निर्माण प्रक्रिया के निरीक्षण हेतु खरीदे गये थे। परन्तु अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 का आशय यह नहीं हो सकता। अतः इन वस्तुओं पर प्रविष्ठि संख्या 1283–अधिसूचना संख्या–एफ.4(4)टैक्स डिवी/99–246 दिनांक 15.10.99, प्रविष्ठि संख्या 1577– अधिसूचना संख्या–एफ.4(30)टैक्स डिवी/2002–189 दिनांक 22.03.2002 एवं प्रविष्ठि संख्या 1578–अधिसूचना संख्या–एफ.4(30)टैक्स डिवी/2002–190 दिनांक 22.03.2002 के अनुरूप प्रवेश कर देय है। "

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन वस्तुओं का उपयोग वस्तु या अन्य किसी रूप में कार्यादेश की पूर्ति हेतु प्रयोग में लिये जाने के कारण वस्तुओं का हस्तान्तरण हो जाता है तो वे वस्तुएँ प्रवेश कर से मुक्त हो सकती है परन्तु जिनका स्थानान्तरण कार्यादेश की पूर्ति हेतु वस्तुओं के रूप में हस्तान्तरण नहीं होता है तो उन्हें प्रवेश कर से मुक्त नहीं माना जा सकता। इस दृष्टिकोण से एलडीओ का उपयोग वस्तु के रूप में हस्तान्तरण नहीं होने के कारण प्रवेश कर से मुक्त नहीं माना जा सकता।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एलडीओ का उपयोग संविदा कार्य के निष्पादन में Consumption के रूप में होता है न कि वस्तु के हस्तान्तरण के रूप में, जिससे इस पर प्रवेश कर का दायित्व बनता है। इस प्रकार जब प्रवेश कर का दायित्व बनता है तो उसे देरी से जमा कराने पर आरोपित शास्ति भी विधिसम्मत है तथा इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

14. फलतः अपील अपीलार्थी व्यवहारी अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य